न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 18 / प्रा.पत्र / 2025 (GCMS No. 2025 / 64)	20.05.2025	08.09.2025

देवलाल आ. रामकिशन जाति गुर्जर,
निवासी रावले का चौक देवपुरा बून्दी, तहसील एवं जिला बून्दी।

— प्रार्थी

बनाम

1. योगेन्द्र सिंह हाडा आ. भैरू सिंह हाडा जाति राजपूत
   निवासी ब्राहमणों की हताई, संत निरंकारी भवन के पास, बून्दी
2. विजयन्त सिंह आ. बजरंग सिंह जाति राजपूत
   निवासी बहादुर सिंह सर्किल, पुलिस लाईन रोड, बून्दी
3. श्रीमती पानाबाई बेवा रामकिशन जाति गुर्जर,
   निवासी रावले का चौक, देवपुरा बून्दी
4. श्योजीराम आ. रामकिशन जाति गुर्जर,
   निवासी रावले का चौक, देवपुरा बून्दी
5. श्रीमती प्रेम बाई पुत्री रामकिशन जाति गुर्जर,
   निवासी पेट्रोल पम्प के सामने, देवपुरा बून्दी
6. श्रीमती मूर्ति बाई पुत्री रामकिशन जाति गुर्जर निवासी देवपुरा बून्दी
   हाल निवासी रामचन्द्रजी का खेडा, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी, जिला बून्दी

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित—

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 स्वयं उपस्थित।
अप्रार्थी सं. 1, 2 की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 5 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 7 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 63/दावा/2019 बउनवान योगेन्द्रसिंह वगै. बनाम श्योजीराम वगै. को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 18/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2025/64 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी तलब की गयी।

तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुऐ अपने तर्क प्रस्तुत किये गये कि भूमि खसरा सं. 497 एवं 498 किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा वाकेग्राम देवपुरा तहसील बून्दी में स्थित है, जो प्रार्थी के पूर्वज सुखा जी के खाते की भूमि है तथा सुखा जी के स्वर्गवास के बाद सन् 1979 में उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी के पिता रामकिशन पुत्र सुखा के नाम अकेली संतान होने से खोला गया। खातेदार रामकिशन उक्त भूमि पर बेरोकटोक काबिज होकर काश्त करते रहे है, जिसके विरूद्ध कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। तत्पश्चात सन 2015 में श्रीमती कैलाशीबाई पुत्री गोपाली बाई पत्नी रामराज जाति गुर्जर निवासी ठीकरिया चारणान ने उसकी माता गोपाली बाई को सुखा जी की पुत्री बताकर उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा होना बताकर कब्जा करने की कोशिश की गई तथा नामान्तरकरण आदेश वर्ष 1979 के विरूद्ध अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश की गई, जो खारिज फरमायी गई, किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई तथा बाद जांच दुबारा नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये। उक्त कैलाशीबाई द्वारा अपनी माता गोपालीबाई को सुखा जी की पुत्री बताकर उक्त भूमियों के बाबत विवाद उत्पन्न किया तो प्रार्थी की माता श्रीमती पानाबाई ने न्यायालय जिला न्यायाधीश बून्दी के यहां इस बात की घोषणा कराने हेतु वाद पेश किया गया कि गोपालीबाई सुखा जी की पुत्री नहीं होकर माधो जी की पुत्री थी। उक्त वाद वर्तमान में ए.डी.जे. साहब कोर्ट नं.1 बून्दी में विचाराधीन है। गोपालीबाई के माधो जी की पुत्री होने के प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है। इसके बावजूद उक्त कैलाशीबाई ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर उक्त भूमि में अपने आपको सहखातेदार हिस्सा 1/2 दर्ज करा लिया तथा अप्रार्थी योगेन्द्र सिंह एवं विजयन्त सिंह को विक्रय कर दिया। उक्त अजनबी केतागण अप्रार्थी सं.1 व 2

जिला कलेक्टर, बून्दी

द्वारा उक्त भूमि के बटंवारे बाबत उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में वाद पेश किया हुआ है जो वर्तमान में विचारधीन है। माननीय अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट नं.1 बून्दी में विचाराधीन वाद में कैलाशीबाई की माता गोपालीबाई के सुखा जी की पुत्री नहीं होकर माधो जी की पुत्री होने का निर्णय होना है। इसलिए कैलाशीबाई का उक्त भूमियों में कोई अधिकार नहीं है तथा उसके द्वारा अप्रार्थी सं.1 व 2 के पक्ष में किया गया विक्रय निरस्तनीय है। इसीलिए वादीगण अन्य मुकदमों से हटकर उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहां विचारधीन वाद में एक ही महिने में 3 से 4 बार तारीख पेशियां डलवाकर विचारण करा रहे है तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण की सुनवाई करने में कोई रूचि न दिखाते हुये सिविल न्यायालय के निर्णय से पूर्व ही निर्णय कर देना चाहते है। पीठासीन अधिकारी महोदय का व्यवहार भी प्रार्थी के साथ न्यायसंगत न होकर भयातुर करने वाला है। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी उक्त वाद का विचारण किसी अन्य न्यायालय में कराना चाहता है, ताकि प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सके तथा प्रार्थी को विधिपूर्वक अपना पक्ष न्यायालय में रखने का समुचित अवसर प्राप्त हो सके। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाद को उपखण्ड अधिकारी बून्दी से अन्य न्यायालय में हस्तान्तरित किए जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर मिथ्या आक्षेप लगाकर अपने मुकदमें को इच्छित न्यायालय में ट्रान्सफर करवाने का उसको कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया है जिसके आधार पर उक्त वाद को उसके संबंधित क्षेत्राधिकार के वर्तमान न्यायालय से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे। प्रार्थी क्षरा काल्पनिक धारणा बनाकर उक्त वाद की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से बाधित करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र यहा प्रस्तुत किया गया है, जो सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। वैसे भी तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बून्दी (पीठासीन अधिकारी) का उपखण्ड बून्दी से अन्यत्र ट्रांसफर हो चुका है। उक्त पीठासीन अधिकारी महोदय के स्थानान्तरण के साथ ही प्रार्थी की आपत्ति का स्वतः ही समाधान हो चुका है। ऐसे में अब उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थी का मुख्य तर्क है कि प्रार्थी के साथ पीठासीन अधिकारी तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बून्दी का व्यवहार न्यायसंगत न होकर भयातुर होने से उनके न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्रार्थी के साथ न्याय नहीं किये

जिला कलक्टर बून्दी

जाने की आशंका है, ऐसे में वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे, जबकि अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 का तर्क है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बून्दी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा है। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

प्रकरण में तलब की गई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में विचाराधीन पत्रावली सं. 63/दावा/2019 की आदेशिका का अवलोकन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 17.03.25, 25.03.25, 28.03.25, 03.04.25, 15.04.25, 22.04.25, 02.05.25, 09.05.25, 21.05.25 एवं 26.05.25 की तारीख पेशिया नियत किया जाना प्रकट है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दी जल्दी तारीख पेशिया दिया जाना प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का ठोस आधार नहीं माना जा सकता है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के साथ न्याय नहीं किया जावेगा, बिना कोई आधार के प्रार्थी की ऐसी आशंका मात्र से ही उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में विचाराधीन वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब किये जाने को प्रकट करता है।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा तत्कालीन पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर आपत्ति प्रकट की गई है। वर्तमान में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बून्दी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है। ऐसे में यह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के न्यायालय में विचाराधीन उक्त वाद को अन्य न्यायालय में स्थान्तरित किया जाना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी बून्दी को हिदायत दी जाती है कि वादग्रस्त प्रकरण सं. 63/दावा/2019 की सुनवाई हेतु, उनके न्यायालय में लम्बित अन्य पत्रावलियों की समरूप ही तारीख पेशियां तय की जाकर एकरूपता से सुनवाई की जावे। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस लौटाई जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते